

मै० रामा देवी शर्मा,  
कोलायत, बीकानेर

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-बी, बीकानेर

.....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**  
**श्री नत्थूराम,सदस्य**

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,  
अधिकृत अभिभाषक  
श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

**निर्णय**

निर्णय दिनांक-07.05.2018


1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 23/आरवेट/बीकानेर/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 01.04.2010 से 31.03.2011 अवधि के चारो तिमाही बिक्री विवरण पत्र वेट-10 एवं वेट-10ए समयावधि में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी ने वेट-10ए के अवलोकन पर पाया कि उनके द्वारा डम्पर व डम्पर पार्ट की खरीद पर रू० 4,78,047/- की आई.टी.सी. (Captal-goods) पर Claim किया है। इस हेतु कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को नोटिस जारी किया। बावजूद नोटिस तामील के भी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 28.02.2013 द्वारा आई.टी.सी. को अस्वीकार कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 09.04.2014 द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना तथ्यों की जांच किये अविधिक आदेश पारित किया है। अपीलार्थी विनिर्माता है तथा उसके द्वारा खनन कार्य हेतु ट्रेक्टर एवं डम्पर तथा डम्पर पार्ट्स की खरीद पर रूपये 4,78,047/- की आई.टी.सी. पूंजीगत माल पर ली गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के क्लेम की गयी पूंजीगत माल की आई.टी.सी. को अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज को भी उन्होंने अविधिक बताया। उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए, अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे।
4. प्रत्यर्थी-राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को आई.टी.सी. क्लेम अस्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

२१

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी खनन कार्य करता है। डम्पर, ट्रैक्टर आदि का उपयोग खनन कार्य, माल ढोने आदि के कार्य में होता है। खनन कार्य अधिनियम, 2003 की धारा 2(7) के अन्तर्गत विनिर्माण की श्रेणी में नहीं आता है। अतः Capital goods की खरीद पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया जा सकता। अतः उक्त पूंजीगत माल पर क्लेम की गयी आई.टी.सी. अविधिक रूप से ली गयी है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक रूप से रिवर्स किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत रूप से यथावत रखा है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6 फलतः अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2014 को यथावत रखा जाता है।  
निर्णय सुनाया गया।

  
( नत्थूराम )  
सदस्य